

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय
शामली

पत्रांक संख्या 674/स्वीकृति/EDD2/SHAMLI

दिनांक 03-01-2024

श्री सदाकत पुत्र श्री रफीक
ग्राम मलकपुर, ब्लॉक-कांघला,
जिला-शामली।

मो0न0-7351178600
आवेदन संख्या-1008364876

प्रिय महोदय/महोदया,

निजी नलकूप/पम्पसैट हेतु (जमा योजना) के अन्तर्गत आपके ऑनलाईन आवेदन संख्या-1008364876 दिनांक 02.01.2024 के आधार पर आपको निम्नलिखित कार्य हेतु विद्युत शक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

नाम विधा
स्वीकृति विद्युत मात्रा

नलकूप पम्पसैट
हार्स पावर-10

यह स्वीकृति निम्नलिखित नियमों व शर्तों से प्रतिबन्धित है-

1. बिजली की मात्रा सीमित होने पर कुछ समय के लिये काटी जा सकती है।
2. यदि उपभोक्ता स्वीकृत विद्या के अतिरिक्त किसी अन्य विधा में बिजली का प्रयोग करता है तो उसका कनेक्शन बिना किसी पूर्व सूचना के काट दिया जायेगा।
3. रोशनी के लिये ट्यूबवेल पर 60 वाट के दो बल्ब सीरीज में लगाये जा सकते हैं।
4. निजी नलकूप /पम्पिंग सैट के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है अन्यथा उपरोक्त स्वीकृति रद्द मानी जायेगी।
5. निजी नलकूप /पम्पिंग सैट किसी पूर्ण निर्मित राजकीय नलकूप अथवा किसी ऐसे राजकीय नलकूप से जिसका निर्माण किया जा रहा है। 200 मीटर दूरी के अन्दर नहीं लगाया जायेगा।
6. निजी नलकूप /पम्पिंग सैट किसी नहर से 100 मीटर अन्दर नहीं लगाया जायेगा। यमुना जैसी नहरों की दशा में जहां पानी कम हो यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय
% १८ शामली।

पत्रांक संख्या 674/स्वीकृति/EDD2/SHAMLI

तददिनांक 03-01-2024

प्रतिलिपि उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड-द्वितीय, कांघला को सुचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित है कि वह उक्त आवेदनकर्ता की साईट का निरीक्षण कर आवेदनकर्ता से संयोजन सम्बन्धी आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर भौतिक तकनीकी आख्या एवं अनुमान पत्र प्राथमिकतानुसार इस कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय
% १८ शामली।